[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनिमय, 2017][1]

[07-02-2018 तक संशोधित]

सं. आईबीबीआई/2017-18/जीएन/आरईजी 012.- बोर्ड दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 58, 196 तथा 208 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियमन 2017 बनाता है, अर्थात -

अध्याय-I

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इन विनियमनों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2017 कहा जाएगा ।

(2) ये विनियमन जून 14, 2017 से प्रवृत्त होंगे ।

(3) ये विनियमन संहिता के भाग-II के अध्याय -IV के तहत फास्ट ट्रैक कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं

(1) इन विनियमनों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अभिप्रेत न हो -

(क) “आवेदन" से संहिता के भाग के अध्याय -IV के अधीन आवेदन फाइल करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) से अभिप्रेत है;

(ख) “संहिता' से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 से अभिप्रेत है;

(ग) “आचार संहिता" से भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 में निर्दिष्टानुसार दिवाला व्यावसायिकों के लिए आचार संहिता, से अभिप्रेत है;

(घ) “समिति” से धारा 21 के अधीन गठित लेनदारों की समिति से अभिप्रेत है;

[2][(ड.) “विसम्मत वित्तीय लेनदार” से ऐसा वित्तीय लेनदार अभिप्रेत है, जिसने समाधान योजना के विरुद्ध मतदान किया है और जो समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजन के लिए मतदान में अनुपस्थित रहा है;']

---

[1] अधिसूचना सं.आईबीबीआई/2017-18/जीएन/आरईजी012, दिनांकित 14-06-2017, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-III खण्ड 4 में प्रकाशित।

[2] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.23, दिनांकित 31-12-2017 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(च) "इलेक्ट्रोनिक स्वरूप" का आशय वही होगा जो इसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में दिया गया है;

(छ) "इलेक्ट्रोनिक माध्यम' से समाधान व्यावसायिक द्वारा भेजे गए किसी संप्रेषण से अभिप्रेत है जो उसके या कारपोरेट ऋणी के प्राधिकृत और सुरक्षित कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से भेजा जाता है जो पुष्टि प्राप्त करने और ऐसी सूचना प्राप्त करने के पात्र भागीदारों को संबोधित ऐसे संप्रेषण का रिकार्ड रखने में सक्षम है जो समाधान व्यावसायिक को ऐसे भागीदारों द्वारा दिए गए, अंतिम इलेक्ट्रोनिक मेल पते पर यह संप्रेषण प्राप्त करने के पात्र हैं;

[3][(छक) 'मूल्यांकन मेट्रिक्स' से समाधान योजनाओं पर उसके अनुमोदन के लिए विचार करने हेतु लागू किए जाने वाले ऐसे पैरामीटर और ऐसे पैरामीटरों को लागू करनेकी रीति अभिप्रेत है, जैसा समिति द्वारा अनुमोदित किया जाए;

(छख) 'उचित मूल्य' से निगमित ऋणी की आस्तियों का ऐसा प्राक्कलित प्राप्त करने योग्य मूल्य अभिप्रेत है, यदि उनका दिवाला प्रारंभ होने की तारीख को एक इच्छुक क्रेता और इच्छुक विक्रेता के बीच किसी निष्पक्ष संव्यवहार में समुचित विपणन के पश्चात् विनिमय किया जाना हो और जहां पक्षकारों ने जानकर, बुद्धिमानी से और विवशता के बिना कार्य हो;]

(ज) फास्ट ट्रैक प्रक्रिया से संहिता के भाग-II के अध्याय IV के तहत कारपोरेट व्यक्तियों हेतु फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया से अभिप्रेत है।

(झ) "फास्ट ट्रैक प्रक्रिया लागत" से तात्पर्य फास्ट ट्रैक प्रारम्भ होने की तारीख से प्रारम्भ होकर निगमन 30 में लागत से अभिप्राय हैं।

(ञ) "फास्ट ट्रैक प्रक्रिया अवधि" से 90 दिन के समाप्त होने पर 90 दिनों की अवधि से है।

(ट) "पहचान संख्या" सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत सीमित देयता भागीदारी पहचान संख्या या कम्पनिज अधिनियम, 2013 के तहत कारपोरेट पहचान संख्या, जैसा भी हो, से अभिप्रेत है;

(ठ) "फास्ट ट्रैक प्रारम्भ की तारीख' से तात्पर्य संहिता के भाग-II के अध्याय IV के तहत फास्ट ट्रैक प्रक्रिया शुरू करने के लिए निर्णायक अधिकारी द्वारा आवेदन को स्वीकार करने की तारीख से है।

(ड) "दिवाला व्यावसायिक संस्था" से भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के अधीन मान्यता प्राप्त संस्था से अभिप्रेत है;

---

[3] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.025, दिनांकित 07-02-2018 द्वारा अंतस्थापित ।

[4][(ढ) 'परिसमापन मूल्य' से निगमित ऋणी की आस्तियों का ऐसा प्राक्किलित प्राप्त करने योग्य मूल्य अभिप्रेत है यदि निगमित ऋणी का समापन दिवाला प्रारंभ होने की तारीख को किया जाना हो।]

(ण) "सहभागी' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 24 के अधीन समिति की बैठक में भाग लेने के लिए पात्र है या समिति की बैठक में भाग लेने के लिए समिति द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति है;

(त) "पंजीकृत मूल्यांकक' से कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में पंजीकृत व्यक्ति से अभिप्रेत है;

(थ) "अनुसूची" से इन विनियमनों की अनुसूची से अभिप्रेत है;

(द) "धारा" से संहिता की धारा से अभिप्रेत है।

(ध) "विडियों कॉफ्रेंसिंग या अन्य श्रव्य या दृश्य माध्यम" से ऐसी श्रव्य या दृश्य सुविधा से अभिप्रेत है जिससे किसी बैठक में सहभागी बिना किसी मध्यस्थ के एक-दूसरे से बातचीत कर सकें और बैठक में प्रभावी रूप से सहभागिता कर सकें ।

2. जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित न किए गए परन्तु संहिता में परिभाषित किए गए शब्दों का अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो इन्हें संहिता में दिया गया है।

अध्याय- II

सामान्य

3. समाधान व्यावसायिक के लिए पात्रता

(1) कोई दिवाला व्यावसायिक किसी कारपोरेट ऋणी की कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए समाधान व्यावसायिक के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र होगा यदि उस, दिवाला व्यावसायिक संस्था जिसमें वह और अन्य कोई भागीदार या निदेशक है उसका कारपोरेट ऋणी से किसी प्रकार का सम्बंध नहीं है।

स्पष्टीकरण :- किसी दिवाला व्यावसायिक को कारपोरेट ऋणी से स्वतंत्र माना जाएगा, यदि वह :

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 149 के अधीन कारपोरेट ऋणी, यदि कारपोरेट ऋणी कम्पनी है, के बोर्ड में स्वत्रंत निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हो;

(ख) कारपोरेट ऋणी का संबंधित पक्ष न हो, या

(ग) कोई कर्मचारी या मालिक या भागीदार न हो;

---

[4] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.025, दिनांकित 07-02-2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

(i) लेखापरीक्षक या व्यावसायरत कंपनी सचिव या कारपोरेट ऋणी के लागत लेखापरीक्षकों की फर्म; या

(ii) किसी कानूनी या परामर्शी फर्म का जिसने उस फर्म के कुल आवर्त के दस प्रतिशत तक या इससे अधिक राशि का पिछले तीन वर्षों में किसी भी समय कोई संव्यवहार कारपोरेट ऋणी के साथ किया है या किया था ।

(2) कोई भी दिवाला व्यवसायिक समाधान व्यावसायिक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह अपना दिवाला व्यवसायिक संस्था, बोर्ड के रोक आदेश के तहत, जिसका वह भागीदार अथवा निदेशक हो।

(3) एक दिवाला व्यवसायिक को अपनी नियुक्ति के समय प्रकट करना होगा तथा बाद में आचरण संहिता के अनुसार |

(4) एक दिवाला व्यवसायिक समाधान व्यावसायिक के रूप में कार्य नहीं करेगा यदि दिवाला व्यवसायिक संस्था जिसका वह एक निदेशक अथवा एक भागीदार अथवा अन्य कोई भागीदार अथवा ऐसी दिवाला व्यवसायिक संस्था के निदेशक उसी फास्ट ट्रैक प्रक्रिया में अन्य किसी हित धारक का प्रतिनिधित्व करता है।

4. बही खातों की उपलब्धता

(1) धारा 17(2)(घ) के होते हुए भी अस्थायी समाधान व्यावसायिक संहिता अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए जहाँ तक प्रासंगिक हो, कारपोरेट ऋणी की लेखाबही, रिकार्ड और संबंधित दस्तावेज एवं सूचना प्राप्त कर सकता है जो निम्नलिखित के पास हो -

(क) प्रतिभूतियों के न्यासी ;

(ख) कारपोरेट ऋणी के व्यावसायिक परामर्शदाता;

(ग) इंफॉरमेशन यूटिलिटी ;

(घ) अन्य रजिस्ट्री जो अस्तियों के स्वामित्व का रिकार्ड रखती है;

(ङ) कारपोरेट ऋणी के सदस्य, संप्रवर्तक, भागीदार, निदेशक बोर्ड, संयुक्त उद्यम भागीदार; तथा

(च) कारपोरेट ऋणी के संविदात्मक प्रतिपक्ष ।

5. अध्यधिक ऋण संव्यवहार

धारा 50(1) के अधीन कोई संव्यवहार अतिशय माना जाएगा जहां यदि उसके लिए -

(1) कारपोरेट ऋणी को उपलब्ध कराए गए ऋण के संबंध में अत्यधिक भुगतान करना उपेक्षित हो; या

(2) संविदा से संबंधित कानून के सिद्धांतों के अधीन अंतःकरण विरूद्ध हो।

अध्याय- III

सार्वजनिक घोषणा

6. सार्वजनिक घोषणा

(1) कोई दिवाला व्यावसायिक अपनी नियुक्ति होने के तत्काल बाद एक अस्थायी समाधान व्यावसायिक के रूप में सार्वजनिक घोषणा करेगा।

स्पष्टीकरण :- 'तत्काल' का अर्थ है जो उसकी नियुक्ति की तारीख से तीन दिन से अधिक न हो।

(2) सार्वजनिक घोषणा विनियमन (1) से संदर्भित होगी :

(क) प्ररूप 'क' में

(ख) (i) उस स्थान पर जहां कारपोरेट ऋणी का पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय, यदि हो स्थित है और अन्य कोई स्थान जो अस्थायी समाधान व्यावसायिक के विचार से ऐसा है जहां कारपोरेट ऋणी महत्वपूर्ण व्यापार कार्यकलाप कर रहा है, में व्यापक परिचालन वाले एक अंग्रेजी और एक प्रांतीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी।

(ii) कारपोरेट ऋणी की वेबसाईट, यदि हो, पर उपलब्ध होगी,

(iii) बोर्ड द्वारा नामित वेबसाइट, यदि हो, पर उपलब्ध होगी,

(ग) दावे के प्रभाण प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख दी जाए जो अस्थायी समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति की तारीख से दस दिन होगी।

(3) आवेदक सार्वजनिक घोषणा का खर्च वहन करेगा जिसकी प्रतिपूर्ति समिति द्वारा जहां तक समर्पित हो, की जाएगी।

स्पष्टीकरण - सार्वजनिक घोषणा पर होने वाला खर्च दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत का भाग नहीं होगा।

अध्याय-IV

दावों का प्रमाण

7. परिचालन लेनदार के दावे

(1) कारपोरेट ऋणी के श्रमिक या कर्मचारी का छोड़कर कोई परिचालन लेनदार अपने दावे का प्रमाण अस्थायी समाधान व्यावसायिक को अनुसूची के प्ररूप ख में व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रोनिक माध्यम से प्रस्तुत करेगा :

परन्तुकि वह व्यक्ति समिति की गठन से पहले अपने दावे के समर्थन में अनुपूरक दस्तावेज या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा।

(2) इस विनियमन के अधीन परिचालन लेनदार होने के नाते ऋण विद्यमान होने को निम्नलिखित के आधार प्रमाणित किया जा सकता है।

(क) इन्फारमेशन यूटिलिटी, यदि हो के पास उपलब्ध रिकार्ड; या

(ख) अन्य संबंधित दस्तावेज, जिनमें निम्नलिखित शामिल है : -

(i) कारपोरेट ऋणी के साथ वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाओं के लिए की गई संविदा;

(ii) कारपोरेट ऋणी को दी गई और सेवाओं के लिए भुगतान की मांग करने वाला बिल;

(iii) न्यायालय या अधिकरण का आदेश जिसमें ऋण, यदि हो, का भुगतान न करने पर निर्णय दिया है।

(iv) वित्तीय लेखा ।

8. वित्तीय लेनदार के दावे

(1) कारपोरेट ऋणी के वित्तीय लेनदार के रूप में दावा करने वाल व्यक्ति अनुसूची के प्रारूप ग में इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अस्थायी समाधान व्यावसायिक को दावे का प्रमाण प्रस्तुत करेगा :

परन्तुकि वह व्यक्ति समिति की गठन से पहले अपने दावे के समर्थन में अनुपूरक दस्तावेज या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा।

(2) इस विनियमन के अधीन वित्तीय लेनदार होने के नाते ऋण विद्यमान होने को निम्नलिखित के आधार प्रमाणित किया जा सकता है।

(क) इन्फारमेशन यूटिलिटी, यदि हो के पास उपलब्ध रिकार्ड; या

(ख) अन्य संबंधित दस्तावेज, जिनमें निम्नलिखित शामिल है : -

(i) ऋण के प्रमाण के रूप में वित्तीय कथन द्वारा समर्पित वित्तीय संविदा;

(ii) एक रिकार्ड जिसमें यह प्रमाण हो कि वित्तीय लेनदार द्वारा किसी सुविधा के अधीन कारपोरेट ऋणी की वचन दी गई राशि कारपोरेट ऋणी ने आहरित कर ली है;

(iii) वित्तीय कथन जिसमें यह दर्शाया गया हो कि ऋण वापस नहीं किया गया है; या

(iv) न्यायालय या अधिकरण का आदेश जिसमें ऋण, यदि हो, का भुगतान न करने पर निर्णय दिया है।

9. श्रमिकों या कर्मचारियों के दावे

(1) कारपोरेट ऋणी का श्रमिक या कर्मचारी होने का दावा करने वाला व्यक्ति अनुसूची के प्ररूप घ में व्यक्तिगत रूप से डाक द्वारा या इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अस्थायी व्यावसायिक को दावे का प्रमाण प्रस्तुत करेगा -

परन्तुकि वह व्यक्ति समिति की गठन से पहले अपने दावे के समर्थन में स्वयं या अंतरिम समाधान व्यावसायिक द्वारा यथापेक्षित अनुपूरक दस्तावेज या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि कारपोरेट ऋणी के बहुत से श्रमिकों या कर्मचारियों की राशि बकाया है तो उनकी ओर से ऐसी समस्त बकाया राशि के लिए कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि दावे का एक प्रमाण अनुसूची के प्ररूप ड. में प्रस्तुत करेगा।

(3) श्रमिकों या कर्मचारियों की बकाया राशि का प्रमाण उनके द्वारा अलग-अलग या सामूहिक रूप से निम्नलिखित के आधार पर दिया जाएगा -

(क) इंफोरमेशन सूटिलिटी, के पास उपलब्ध रिकार्ड, यदि कोई हो; या

(ख) अन्य संबंधित दस्तावेज, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं -

(i) नियुक्ति का प्रमाण जैसे कि उस अवधि के लिए नियुक्ति की संविदा जिसके लिए यह श्रमिक या कर्मचारी बकाया राशि का दावा कर रहा है;

(ii) भुगतान न की गई राशि के भुगतान की मांग करने वाला नोटिस और अन्य कोई दस्तावेज या प्रमाण की यह भुगतान नहीं किया गया है; या

(iii) न्यायालय या अधिकरण का आदेश जिसने ऋण, यदि हो, का भुगतान न करने पर निर्णय दिया है।

[5][**9क. अन्य लेनदारों द्वारा दावे**

(1) विनियम 7, 8 और 9 के अंतर्गत आने वाले लेनदारों से भिन्न, ऐसा व्यक्ति, जो लेनदार होने का दावा कर रहा है, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक को व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलैक्ट्रानिक माध्यम से अनुसूची के प्ररूप च में अपने दावे का सबूत प्रस्तुत करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेनदार के दावे के अस्तित्व को निम्नलिखित आधार पर साबित किया जा सकेगा -

(क) किसी सूचना उपयोगिता (इन्फारमेंशन यूटिलिटी), यदि कोई है, में उपलब्ध अभिलेख; या

(ख) ऐसे अन्य सुसंगत दस्तावेज़, जो दावे को स्थापित करने के लिए पर्याप्त हों, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित में से कोई एक या सभी आते हैं :

(i) दावे की तुष्टि की मांग करने संबंधी दस्तावेजी साक्ष्य;

(ii) लेनदार की बैंक विवरणियां, जिनसे यह दर्शित होता हो कि दावे की तुष्टि नहीं की गई है;

---

[5] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.014, दिनांकित 16-08-2017 द्वारा अंतःस्थापित ।

(iii) उस न्यायालय या अधिकरण का आदेश, जिसने दावे की तुष्टि न होने पर न्यायनिर्णयन किया है, यदि कोई है ।]

10. दावे प्रमाणित करना

अस्थायी समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, जैसा भी हो किसी लेनदार के पूरे दावे या उसके किसी भाग को प्रमाणित करने के लिए उस लेनदार से यथापेक्षित कोई अन्य प्रमाण या स्पष्टीकरण मांग सकता है।

11. ऋण को सिद्ध करने में प्रमाण की लागत

किसी लेनदार के बकाया ऋण का प्रमाण देने की लागत उस लेनदार द्वारा वहन की जाएगी।

12. दावों के प्रमाण प्रस्तुत करना

(1) उप-विनियमन (2) के अधीन कोई लेनदार सार्वजनिक घोषणा में उल्लिखित अंतिम तारीख को या उससे पहले अपने दावे के प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

(2) कोई लेनदार जिसने सार्वजनिक घोषणा में दी गई समय सीमा के भीतर दावे का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया हो, ऐसा प्रमाण अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, जैसा भी हो को समिति द्वारा समाधान योजना का अनुमोदन किए जाने तक प्रस्तुत कर सकता है।

(3) यदि उप-विनियम (2) में लेनदार वित्तीय लेनदार है तो उसे उस दावे की स्वीकृति की तारिख से समिति में शामिल किया जाएगा।

परन्तुकि इस प्रकार शामिल करने का इससे पहले समिति द्वारा लिए गए किसी निर्णय की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

13. दावों का सत्यापन

(1) अस्थायी समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, जैसा भी हो शोधन अक्षमता प्रारम्भ होने की तारीख को दावे प्राप्त होने की अंतिम तारीख से सात दिन के भीतर प्रत्येक दावे का सत्यापन करेगा और इसके बाद लेनदारों की एक सूची रखेगा जिसमें लेनदारों के नाम के साथ-साथ उनके द्वारा दावा की राशि, दर्ज दावों की राशि और ऐसे दावों के सम्बंध में प्रतिभूमि ब्याज, यदि हो, तो शामिल होंगे तथा ऐसे अद्यतन करेगा।

(2) लेनदारों की सूची -

(क) उन व्यक्तियों द्वारा देखे जाने के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने दावों का प्रमाण प्रस्तुत किया है;

(ख) कारपोरेट ऋणी के सदस्यों, भागीदारों, निदेशकों और गारंटी दाता द्वारा देखे जाने के लिए उपलब्ध होगी;

(ग) कारपोरेट ऋणी की वेबसाईट, यदि हो, पर रखी जाएगी।

(घ) निर्णायक अधिकारी के पास फाइल की जाएगी, और

(ङ) समिति की पहली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

14. दावे की राशि निर्धारित करना

(1) यदि लेनदार द्वारा दावा की गई राशि किसी आकस्मिकता या अन्य कारण से स्पष्ट न हो, तो अस्थायी समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, जैसा भी हो उसके पास उपलब्ध सूचना के आधार पर दावे की राशि का सर्वोत्तत ढंग में अनुमान लगाएगा।

(2) अस्थायी समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, जैसा भी हो उप-विनियमन (1) के अधीन किए गए दावों के अनुमान सहित स्वीकृत दावों की राशि यदि उसे कोई अतिरिक्त ऐसी सूचना मिले जिसके लिए संशोधन अपेक्षित हो, तो जब भी व्यवहार्य हो, इसे संशोधित करेगा।

15. विदेशी मुद्रा में ऋण

विदेशी मुद्रा में आकलित दावों का मूल्य फास्ट ट्रैक के प्रारम्भ होने की तारीख का सरकारी विनियम दर पर भारतीय मुद्रा से लगाया जाएगा।

स्पष्टीकरण - 'सरकारी विनियम दर' भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित संदर्भ पर या इस संदर्भ दर से प्राप्त की गई दर है।

अध्याय-V

लेनदारों की समिति

16. केवल परिचालन लेनदारों वाली समिति

(1) यदि कारपोरेट ऋणी का कोई वित्ती ऋण न हो या यदि सभी वित्तीय लेनदार कारपोरेट ऋणी के संबधित पक्ष हों, तो समिति का गठन इस विनियमन के अनुसरण में किया जाएगा।

(2) इस विनियमन के अधीन गठित समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे।

(क) मूल्य के आधार पर सबसे बड़े अठारह परिचालन लेनदार:

परंतुकि यदि परिचालन लेनदारों की संख्या अठारह से कम तो समिति में ऐसे सभी लेनदार शामिल होंगे।

(ख) उप खंड (क) के अधीन शामिल श्रमिकों को छोड़कर सभी श्रमिकों द्वारा निर्वाचित एक प्रतिनिधि; और

(ग) उप खंड (क) के अधीन शामिल कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारियों द्वारा निर्वाचित एक प्रतिनिधि; ।

(3) इस विनियमन के अधीन गठित समिति के सदस्य को कुल ऋण में उस लेनदार के बकाया ऋण के अनुपात में या ऐसे प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा रहे ऋण, जैसा भी हो के अनुपात में मतदान का अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण - इस विनियमन के प्रयोजनों के लिए, 'कुल ऋण' निम्नलिखित का योग है -

(क) उपखंड 2(क) में सूचीबद्ध लेनदारों के बकाया ऋण की राशि;

(ख) उपखंड 2(ख) के अधीन श्रमिको के बकाया कुल ऋण की राशि; और

(ग) उपखंड 2(ग) के अधीन कर्मचारियों के बकाया कुल ऋण की राशि;

(4) इस विनियमन के अधीन गठित समिति और इसके सदस्यों के वही अधिकार, शक्तियाँ, दायित्व और बाध्यताएं होगी जैसा कि वित्तिय लेनदारों और इसके सदस्यों, जैसा भी हो, की समिति के है।

17. अंतरिम समाधान व्यावसायिक द्वारा दाखिल करना

(1) अस्थायी समाधान व्यावसायिक अपने नियुक्ति की तारीख से तीस दिन समाप्त होने पर या उससे पहले निर्णायक अधिकारी को समिति के गठन की प्रमाणित करते हुए एक रिपोर्ट फाइल करेगा।

(2) कारपोरेट ऋणी तथा दावों के अभिलेख के आधार पर, यदि अंतरिम समाधान व्यावसायिक की राय है कि अधिसूचना की धारा 55(2) के तहत कारपोरेट ऋणी पर फास्ट ट्रैक प्रक्रिया लागू नहीं होती है तो वह संहिता क भाग-II के अध्याय -IV के तहत फास्ट ट्रैक प्रक्रिया को कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में बदलने के लिए आदेश पारित कराने हेतु, अप-विनियमन(1) में प्रतिवेदना के साथ-साथ अधिनिर्णय कर्ता अधिकारी को एक आवेदन दाखिल करेगा।

(3) यदि अधिनिर्णय कर्ता अधिकारी अप-विनियमन(2) के तहत किसी आवेदन पर फास्ट ट्रैक प्रक्रिया से कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में बदलने हेतु आदेश पारित करता है तो प्रक्रिया को दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों हेतु दिवाला समाधान प्रक्रिया), विनियमन, 2016 के अनुसार जारी रखा जायेगा।

(4) अस्थायी समाधान व्यावसायिक इस विनियमन के अधीन रिर्पोट फाइल करने के सात दिन के अन्दर समिति की पहली बैठक का आयोजन करेगा।

अध्याय-VI

समिति की बैठकें

18. समिति की बैठकें

कोई समाधान व्यावसायिक जब भी आवश्यक समझें समिति की बैठक बुला सकता है और यदि समिति के तैंतीस प्रतिशत मताधिकार प्राप्त प्रतिनिध सदस्यों द्वारा अनुरोध किए जाने पर समिति की बैठक बुला सकता है।

19. समिति की बैठकों के लिए सूचना

(1) इस समाधान के आधार पर भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसके द्वारा समाधान व्यावसायिक को दिए गए पते पर सात दिन से अन्यून समय के भीतर लिखित में सूचना देकर समिति की बैठक बुलाई जाएगी और ऐसी सूचना दस्ती सुपुर्दगी या डाक द्वारा दी जाएगी, किन्तु, किसी भी स्थिति में विनियम 20 के अनुसरण में प्रत्येक भागीदार को इलेक्ट्रानिक माध्यम से सूचित किया जाएगा।

(2) समिति अगर उचित समझे तो 7 दिनों की इस अवधि को कम कर सकती है, परन्तु वह अवधि 24 घंटो से कम न हो।

20. इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा सूचना देना

(1) भागीदारों को एक टैक्स्ट के रूप में ई-मेल द्वारा कोई सूचना देना या ई-मेल के संलग्नक के रूप में या इलेक्ट्रानिक लिंक देते हुए किसी अधिसूचना के रूप में या ऐसी सूचना को प्राप्त करने के लिए यूनिफार्म रिसोर्स लोकेटर आदि इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से सूचना देना।

(2) ई-मेल में विषय की पंक्ति में कारपॅरिट ऋणी, स्थान, यदि कोई है तो, समय और बैठक के लिए निर्धारित तारीख का उल्लेख किया जाएगा।

(3) यदि सूचना ई-मेल के संशोधन नहीं करने योग्य किसी संलगन्क के रूप में भेजी गई है तो ऐसा संलगन्क तो ऐसा संलगन्क सॉफ्टवेयर के संबधित वर्जन को डाउनलोड करने के लिए प्राप्तकर्ताओं हेतु 'लिंक या दिशानिदेश' सहित पोर्टेबल डॉक्सूमेंट फार्मेट या नॉन-एडिटेबल फॉर्मेट में होगा।

(4) यदि सूचना या सूचना अपलब्ध करवाने वाली अधिसूचनाएं ई-मेल द्वारा भेजी जाती हैं तो समाधान व्यावसायिक सुनिश्चित करेगा कि यह एक ऐसी प्रणाली का उपयोग करता है जो ई-मेल भेजे गए सभी प्राप्तकर्ताओं की कुल संख्या की पुष्टि करती है और सूचना भेजे गए प्रत्येक प्राप्तकर्ता का एक रिकार्ड और ऐसे रिकार्ड की प्रति और किसी असफल प्रेषण की कोई सूचना और फिर पुनः प्रेषण को भेजने के सबूत' के रूप में रखा जाएगा।

(5) समाधान व्यावसायिक की ई-मेल भेजता की बाध्यता की तुष्टि की जाएगी और उसके नियंत्रण से परे, यदि प्रेषण नहीं होता है तो वह इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

(6) इलेक्ट्रानिक लिंक या यूनिफॉर्म रिर्सेस लोकेटर पर उपलब्ध सूचना पठनीय होगी और प्राप्तकर्ता उसकी प्रतियां प्राप्त कर सकता है और रख सकता है तथा समाधान व्यावसायिक पूरा यूनिफॉर्म रिसौस लोकेटर या वेबसाइट का पता देगा और दस्तावेज या सूचना को किस प्रकार प्राप्त करना है इसका पूरा विवरण देगा।

(7) यदि समिति के किसी सदस्य के अतिरिक्त, कोई ऋणी समाधान व्यावसायिक की संबंधित ई-मेल पता प्रदान करने में असफल रहता है तो किसी भी बैठक में ऐसे प्रतिभागी द्वारा ऐसी सूचना की पावती प्राप्त नहीं करने से ऐसी बैठक में लिए गए निर्णयों को अमान्य नहीं कर सकेगा।

21. बैठक के लिए सूचना का सारांश

(1) सूचना में बैठक के स्थान, समय और बैठक की तारीख के बारे में तथा उसके पास उपलब्ध वीडियो कांफ्रेसिंग या अन्य दृश्य और श्रव्य साधनों के माध्यम से भाग लेने के विकल्प के बारे में बताया जाएगा और वीडियो कांफ्रेसिंग या अन्य दृश्य और श्रव्य साधनों के माध्यम से भाग लेने की समस्त आवश्यक सूचना होगी।

(2) बैठक की सूचना में बताया जाएगा कि कोई प्रतिभागी बैठक में व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकता है और मतदान कर सकता है :

परंतु कि ऐसा प्रतिभागी बैठक से पूर्व समाधान व्यावसायिक की प्राधिकृत प्रतिनिधि, जो बैठक में उसके स्थान पर उपस्थित होगा और मतदान करेगा, की पहचान बताएगा।

(3) बैठक की सूचना में निम्नलिखित के साथ बैठक की एक कार्य सूची होगी -

(i) बैठक में चर्चा किए जाने वाले मामलों की एक सूची ;

(ii) बैठक में मतदान किए जाने वाले मामलों की एक सूची ; और

(iii) बैठक में चर्चा किए जाने वाले मामलों और मतदान किए जाने वाले मामलों से संबधित सभी दस्तावेजों की प्रतियां ;

(4) बैठक की सूचना में :

(क) इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा मतदान के लिए प्रक्रिया और रीति तथा निर्धारित समय और उस समयावधि का उल्लेख करेगा जिसके दौरान मतदान किया जाएगा :

(ख) लॉग-इन आईडी प्रदान करना और पासवर्ड जेनरेट करने के लिए किसी सुविधा का और सुरक्षा रखने तथा सुरक्षित तरीके से मतदान करने का विवरण होगा ;

(ग) उस व्यक्ति के सम्पर्क का विवरण होगा जो इलेक्ट्रानिक मतदान से संबंधित संकाएं दूर करेगा।

22. बैठक का कोरम

(1) किसी बैठक का कोरम तभी पूरा माना जाएगा यदि समिति में मतदान के अधिकार के न्यूनतम तैंतीस प्रतिशत मताधिकार प्राप्त सदस्य व्यक्तिगत रूप से या फिर वीडियो कांफ्रेसिंग या अन्य दृश्य और श्रव्य साधनों से उपस्थित हैं :

परन्तु कि समिति की किन्हीं भविष्य की बैठकों के संबंध में कोरम के लिए अपेक्षित मतदान के प्रतिशत में समिति संशोधन कर सकती है।

(2) यदि समिति की कोई बैठक कोरम की कमी के कारण आयोजित नहीं हो सकती और समिति ने पूर्व में कोई अन्यथा निर्णय नहीं लिया है तो बैठक स्वतः ही अगले दिन उसी समय और स्थान के लिए स्थगित मानी जाएगी।

(3) यदि समिति की कोई बैठक उप-विनियम (2) के अनुसरण में स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक का कोरम बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों के अनुसार होगा।

23. वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेना

(1) समिति की बैठकों के बारे में सूचना इस विनियम के अनुसरण में वीडियो कांफ्रेसिंग या अन्य दृश्य और श्रव्य साधनों द्वारा बैठक में उपस्थित होने का एक विकल्प होगा।

(2) समाधान व्यावसायिक बाधा रहित और स्पष्ट वीडियो या श्रव्य और दृश्य संपर्क का सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा।

(3) समाधान व्यावसायिक निम्नलिखित सही और उचित ध्यान रखेगा -

(क) पर्याप्त सुरक्षा और पहचान कार्यवाही को सुनिश्चित करते हुए बैठक की सत्यनिष्ठा की रक्षा करना

(ख) बैठक में प्रतिभागियों की प्रभावी भागीदारी के लिए उचित वीडियो कांफ्रेसिंग या अन्य दृश्य और श्रव्य उपकरणों की उपलब्धता या संवादों के संप्रेषण के लिए सुविधाओं को सुनिश्चित करना :

(ग) कार्यवाही को रिकॉर्ड करना और बैठक के कार्यवृत्तों को तैयार करना;

(घ) सुरक्षा के लिए भंडारण करना और कारपोरेट ऋणी के रिकार्ड के रूप में भौतिक रिकॉर्डिंग या अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग तंत्र को चिंहिनत करना

(ड) सुनिश्चित करना कि नियत प्रतिभागियों अलावा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है और वीडियो कांफ्रेसिंग या अन्य दृश्य और श्रव्य साधनों के माध्यम से बैठक की कार्यवाही नहीं देख रहा है ; और

(च) सुनिश्चित करना कि बैठक में दृश्य और श्रव्य के साधनो से उपस्थित प्रतिभागी बैठक के दौरान अन्य प्रतिभागियों को सुनने और देखने, यदि लागू है तो, में समर्थ हैं:

परन्तु कि ऐसे व्यक्ति जो दिव्यांग हैं बैठक में अपने साथ एक व्यक्ति का लाने की अनुमति के लिए समाधान व्यावसायिक से अनुरोध कर सकते हैं।

(4) यदि बैठक वीडियो कांफ्रेसिंग या अन्य दृश्य और श्रव्य साधनों के माध्यम से आयोजित की जाती है तो बैठक की सूचना में बताए गए बैठक के निर्धारित स्थान, जो भारत में होगा, उक्त बैठक का स्थान माना जाएगा और बैठक की कार्यवाहियों की समस्त रिकार्डिंग ऐसे स्थान पर की गई, मानी जाएगी।

24. बैठक का आयोजन

(1) समाधान व्यावसायिक समिति की बैठक के सभापति के रूप में कार्य करेगा।

(2) किसी बैठक के आरम्भ में समाधान व्यावसायिक हाजिरी जब वीडियो कांफ्रेंसिंग या अन्य दृश्य और श्रव्य साधनो के माध्यम से उपस्थित प्रत्येक रिकार्ड के लिए निम्नलिखित बताएगा, अर्थात :

(क) उसका नाम

(ख) क्या वह समिति के किसी सदस्य या अन्य किसी प्रतिभागी की क्षमता से उपस्थित है;

(ग) क्या वह किसी सदस्य या सदस्यों के समूह का प्रतिभागी कर रहा है।

(घ) वह स्थान जहां से वह भाग ले रहा है;

(ङ) कि उसके पास बैठक के लिए कार्यसूची और संबन्धित समस्त समाग्री है; और

(च) उस व्यक्ति के स्थान से उसके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं है और बैठक की कार्यवाही को नहीं देख रहा है

(3) हाजिरी के बाद, समाधान व्यावसायिक बैठक में उपस्थित सभी व्यक्तियों के नाम प्रतिभागियों को बताएगा और पुष्टि करेगा कि अपेक्षित कोरम पूरा है।

(4) समाधान व्यावसायिक सुनिश्चित करेगा कि पूरी बैठक के दौरान अपेक्षित कोरम उपस्थित है।

(5) बैठक के प्रारम्भ होने से समाधान तक प्रतिभागियों के अतिरिक्त और ऐसे अन्य व्यक्ति, जिसकी उपस्थिति समाधान व्यावसायिक द्वारा अपेक्षित है के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को समाधान व्यावसायिक की अनुमति के बिना उस स्थान पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां बैठक आयोजित की जा रही है या जिस स्थान पर वीडियो कांफ्रेसिंग या अन्य श्रव्य और दृश्य सुविधा है।

(6) समाधान व्यावसायिक सुनिश्चित करेगा कि समिति की प्रत्येक बैठक के सम्बंध में कार्यवृत बनाए गए हैं और उन कार्यवृत्तों में उन प्रतिभागियों के ब्यौरों का प्रकटीकरण होगा की बैठक में व्यक्गित रूप से, वीडियो कांफ्रेसिंग या अन्य श्रव्य और दृश्य साधनों के माध्यम से उपस्थित थे।

(7) समाधान व्यावसायिक उक्त बैठक के अड़तालीस घंटों के भीतर इलेक्ट्रानिक साधनों के द्वारा सभी प्रतिभागियों को बैठक का कार्यवृत्त भेजेगा।

अध्याय- VII

समिति द्वारा मतदान

25. समिति द्वारा मतदान

(1) धारा 28(1) में सूचीबद्ध कार्यों पर समिति की बैठकों में विचार किया जाएगा;

(2) धारा 28(1) में सूचीबद्ध के अलावा किसी कार्य, जिसमें समिति का अनुमोदित अपेक्षित है, पर समिति की बैठक में विचार किया जा सकता है;

(3) समाधान व्यावसायिक मत के लिए सूचीबद्ध किसी मद पर आवश्यक चर्चा के बाद बैठक में, समिति के उन सदस्यों का मत ले सकता है जो बैठक में भाग ले रहें हैं।

(4) समाधान व्यावसायिक :

(क) बैठक के समाधान के के अड़तालीस घंटों के भीतर समिति के सभी सदस्यों को इलेक्ट्रानिक साधनों से बैठक के कार्यवत्त भेजेगा; और

(ख) ऐसे सदस्यों से जिन्होने बैठक में भाग नहीं लिया और न ही मत दिया, यदि हो, बैठक में मतदान के लिए सूचीबद्ध मामलों पर इलैक्ट्रानिक मतदान के माध्यम से एक मत मांगेगा और कार्यवृत्त भेजने के बाद मतदान चौबीस घंटे खुला रहेगा।

(5) मतदान अवधि के समापन पर मतदान पोर्टल को तुरन्त ब्लाक कर दिया जाएगा।

(6) समिति के किसी सदस्य द्वारा समाधान पर एक बार मतदान करने पर ऐसे सदस्य को बाद में इसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(7) यदि इस विनियमान के तहत कोई इलैक्ट्रानिक मत मांगने की आवश्यकता नहीं है तो समाधान व्यावसायिक मतदान के समापन के 24 घंटे के भीतर अथवा बैठक की समाप्ति के 48 घंटों के भीतर, बैठक की कार्यसूची पर समिति के निर्णयों को इलैक्ट्रानिक माध्यम से परिचालित करेगा जिसमें उन सदस्यों के नाम, जिन्होने निर्णय के पक्ष अथवा विपक्ष मत दिया है अथवा जिन्हें मत देने से रोका गया है, शामिल किये जायेंगें।

स्पष्टीकरण : इन विनियमों के उद्देश्यों के लिए -

(क) "इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा मतदान" या "इलेक्ट्रानिक मतदान प्रणाली" वाक्यांश से अभिप्राय इलेक्ट्रानिक बैलेट दिखाने, समिति के सदस्यों के मतों को रिकार्ड करने और पक्ष या विपक्ष में डाले गए मतो की साक्ष्य रिकार्ड करने की एक "सुरक्षित प्रणाली" आधारित प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा किया गया मतदान रजिस्ट्रीकृत होता है और प्रर्याप्त “साईबर सुरक्षा" में एक केन्द्रीकृत सर्वर में इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री में गणना होती है।

(ख) “सुरक्षित प्रणाली" वाक्यांश का अभिप्राय कम्प्यूटर हार्डवेयर और प्रक्रिया है जो -

(i) अप्राधिकृत पहुंच और दुष्प्रयोग से यथोचित बचाता है;

(ii) विश्वसनीयता और सही संचालन का यथाचित स्तर प्रदान करता है:

(iii) अपेक्षित कार्यों के निष्पादन के लिए यथोचित अनुकूल; और

(iv) आमतौर पर स्वीकृत सुरक्षा कार्यवाहियों की जारी रखती है।

अध्याय- VIII

फास्टट्रैक प्रक्रिया का आयोजन

[6][26. **रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों की नियुक्ति-**

समाधान वृत्तिक अपनी नियुक्ति के सात दिनों के भीतर विनियम 34 के अनुसार निगमित ऋणी के उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य का अवधारण करने के लिए एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक की नियुक्ति करेगाः परन्तु निम्नलिखित व्यक्तियों को रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक नियुक्त नहीं किया जाएगा, अर्थात्

(क) समाधान वृत्तिक का कोई नातेदार;

(ख) निगमित ऋणी का कोई संबद्ध पक्षकार;

(ग) दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान किसी भी समय निगमित ऋणी का कोई संपरीक्षक; या

(घ) ऐसी दिवाला वृत्तिक इकाई का, जिसका समाधान वृत्तिक एक भागीदार या निदेशक है, कोई भागीदार या निदेषक।]

27. लेनदारों के बकाया ऋण का अंतरण

(1) यदि कोई लेनदार दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान ऐसे लेनदार के बकाया ऋण को किसी अन्य व्यक्ति को सौंपता है या अंतरण करता है तो दोनो पक्ष ऐसे अंतरण और समनुदेशिती या अंतरिती की पहचान अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, जैसा भी मामला हो, को देगें।

(2) समाधान व्यावसायिक समिति में किसी परिणामी परिवर्तन के बारे में ऐसे परिवर्तन से दो दिन के भीतर प्रत्येक प्रतिवासी और निर्णायक प्राधिकारी को सूचित करेगा।

28. व्यापार के साधारण अनुक्रम से बाहर आस्तियों की बिक्री

(1) समाधान व्यावसायिक कारपोरेट ऋणी की भार रहित आस्तियों) को साधारण अनुक्रम के अतिरिक्त बेच सकता है, यदि उसका मानना है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में एक बेहतर उगाही के लिए ऐसी बिक्री आवश्यक :

परन्तु कि इस उप-विनियम के तहत कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान बेची गई आस्तियों का अंकित मूल्य अंतरिम समाधान व्यावसायिक द्वारा स्वीकृत कुल दावों के दस प्रतिक्षत से अधिक नहीं होगा।

(2) इस विनियम के तहत आस्तियों की कोई बिक्री के लिए समिति का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

(3) इस विनियम के तहत बेची गई आस्तियों का एक वास्तविक क्रेता के पास कारपोरेट ऋणी के सांविधिक दस्तावेजों शेयरधारको के समझौते, संयुक्त उद्यम समझौते या इसी तरह के किसी दस्तावेज की शर्तो के बावजूद ऐसी आस्थियों का स्वतंत्र और विपण्य अधिकार होगा।

29. स्थानीय जिला प्रशासन की सहायता

---

[6] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.025, दिनांकित 07-02-2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, जैसा की मामला हो, संहिता या इन विनियमों के तहत अपने कर्तव्यों को करने में स्थानीय जिला प्रशासन की सहायता मांगने के लिए आदेश हेतु निर्णायक प्राधिकारी को एक आवेदन कर सकता है।

अध्याय-IX

फास्ट ट्रैक प्रक्रिया लागतें

30. फास्ट ट्रैक प्रक्रिया लागतें

"फास्ट ट्रैक प्रक्रिया लागत" से तात्पर्य है :

(क) कोई अंतरिम वित्त की राशि तथा ऐसे वित्त को अर्जित करने में लागत खर्च;

(ख) समाधान व्यावसायिक के रूप में करने वाले किसी व्यक्ति को देय फीस

(ग) समाधान व्यावसायिक द्वारा किसी कारपोरेट ऋणी के कारोबार को चला रहे प्रतिष्ठान के तौर पर संचालित करने में खर्च हुई लागत;

(घ) प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकारी खर्च पर हुई कोई लागत;

(ङ) विनियमन अ के तहत अनिवार्य वस्तुओं तथा सेवाओं के अपूर्तिकर्ता को देय राशि;

(च) किसी व्यक्ति की बकाया राशियां, जिसके अधिकार धारा 14(1)(घ) के तहत लगाई गई रोक के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित है;

(छ) अंतरिम समाधान व्यावसायिक पर या द्वारा विनियम 33 के तहत किसी हद तक पुष्टि किए गए व्यय;

(ज) समाधान व्यावसायिक पर या द्वारा किए गए विनियम 34 के तहत निर्धारित व्यय;

(झ) कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबधित और समिति द्वारा अनुमोदित अन्य लागतें।

31. अनिवार्य आपूर्तियां

धारा 14(2) में उल्लिखित अनिवार्य वस्तुएं और सेवाओं से अभिप्राय -

(1) विद्युत,

(2) जल,

(3) दूरसंचार सेवाएं; और

(4) सूचना प्रोद्योगिकी सेवाएं, हैं।

उस सीमा तक जो कारपोरेट ऋणी के द्वारा उत्पादित, या प्रदाय किए गए परिणामों के लिए एक प्रत्यक्ष सामग्री नहीं है।

उदाहरण - किसी कारपोरेट ऋणी को की गई जल आपूर्ति पीने और स्वच्छता के उद्देश्य के लिए अनिवार्य आपूर्ति होगी, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने क लिए नहीं।

32. अंतरिम समाधान व्यावसायिक की लागत

(1) आवेदक अंतरिम समाधान व्यावसायिक पर या द्वारा किए जाने वाले व्ययों को निर्धारित करेगा।

(2) यदि आवेदक ने व्ययों का निर्धारण नहीं किया है तो उप-विनियम(1) के तहत निर्णायक प्राधिकारी व्ययों का निर्धारण करेगा।

(3) आवेदन उन व्ययों का वहन करेगा जिनकी पुष्टि पर समिति द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(4) समिति द्वारा पुष्टि किए गए व्ययों की राशि दिवाला समाधान प्रक्रिया लागतों के रूप में मानी जाएगी।

स्पष्टीकरण - इस विनियम के उद्देश्य के लिए, 'व्ययों' से अभिप्राय अंतरिम समाधान व्यावसायिक को देय शुल्क और कार्यरत व्यावसायिक सलाहकारों की लागत सहित अंतरिम समाधान व्यावसायिक द्वारा उठाए जाने वाले अन्य व्यय हैं।

33. समाधान व्यवसायिक लागतें

समिति समाधान व्यावसायिक पर यां द्वारा किए गए व्यय निर्धारित करेगी और इन व्ययों से दिवाला समाधान प्रक्रिया लागतें बनेंगी।

स्पष्टीकरण - इस विनियम के उद्देश्य के लिए, 'व्ययों' से अभिप्राय समाधान व्यावसायिक को देय शुल्क और कार्यरत व्यावसायिक सलाहकारों की लागत सहित अंतरिम समाधान व्यावसायिक द्वारा उठाए जाने वाले अन्य व्यय हैं।

अध्याय-X

समाधान योजना

[7]**[34.** उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य

(1) विनियम 26 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक, निगमित ऋणी की संपत्ति-तालिका और नियत आस्तियों का सत्यापन करने के पश्चात् समाधान वृत्तिक को अंतराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मूल्यांकन मानकों के अनुसार संगणित उचित मूल्य का और परिसमापनी मूल्य का प्राक्कलन प्रस्तुत करेंगे

[7] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.025, दिनांकित 07-02-2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) समाधान वृत्तिक, संहिता और इन विनियमों के अनुसार समाधान योजनाओं की प्राप्ति के पश्चात्, समिति के प्रत्येक सदस्य को, सदस्य से इस आशय का वचनबंध प्राप्त करने पर इलैक्ट्रानिक रूप में उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य उपलब्ध करेगा कि ऐसा सदस्य उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य के संबंध में गोपनीयता बनाए रखेगा और ऐसे मूल्यों का, स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित लाभ या अनुचित हानि कारित करने के लिए प्रयोग नहीं करेगा और धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा

(3) समाधान वृत्तिक और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य की गोपनीयता बनाए रखेगा।]

35. सूचना ज्ञापन

[8][(1) उप-विनियम (4) के अधीन रहते हुए, समाधान वृत्तिक, सूचना ज्ञापन की इलैक्ट्रानिक रूप में निम्नलिखित को प्रस्तुत करेगा।

(क) अपने समाधान वृत्तिक के रूप में नियुक्ति के दो सप्ताह के भीतर समिति के प्रत्येक सदस्य को; और

(ख) प्रत्येक भावी समाधान आवेदक कोअधिक से अधिक संहिता की धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन समाधान योजना के आमंत्रण की तारीख तक उपलब्ध कराएगा।]

(2) सूचना ज्ञापन में कारपोरेट ऋणी के निम्नलिखित ब्यौरे निहित होगें -

[9][(क) दिवाला प्रारंभ होने की तारीख को ऐसे विवरण सहित आस्तियां और दायित्व, जो उनके मूल्य अभिनिश्चित करने के लिए आमतौर पर आवश्यक हैं।

स्पष्टीकरण: 'विवरण' के अंतर्गत वे ब्यौरे आते हैं, जैसे अर्जन की तारीख, अर्जन की लागत, शेष उपयोगी अवधि, पहचान संख्यांक, प्रभारित अवक्षयण, वही मूल्य और कोई अन्य सुसंगत ब्यौरे।]

(ख) नवीनतम वार्षिक वित्तीय विवरण :

(ग) कारपोरेट ऋणी के पिछले दो वर्षों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और वर्तमान वित्तीय वर्ष का अस्थायी वित्तीय विवरण जो आवेदन की तारीख से 14 दिनों से अधिक पहले की न हो;

(घ) लेनदारों की सूची जिसमें लेनदारों के नाम, उनके द्वारा दावाकृत राशि, उनके स्वीकृत दावों की राशि और इन दावों में संबधित प्रतिभूति लाभ यदि कोई हो, निहित हो;

(ड़) कारपोरेट ऋणी की ओर से या कारपोरेट ऋणी को संबधित पक्षो संबधी देय ऋण के ब्यौरे;

(च) कारपोरेट ऋणी के ऋणों से संबधित अन्य व्यक्तियों द्वारा दी गई गांरटी के ब्यौरे, जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया हो कि कौन सा गांरटीदाता संबधित पक्ष है;

---

[8] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.025, दिनांकित 07-02-2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

[9] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.025, दिनांकित 07-02-2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

(छ) कारपोरेट ऋणी कम्पनी में कम से कम एक प्रतिशत शेयर रखने वाले सदस्यों यो भागीदारों का नाम व पता और उनके शेयरों का आकार;

(ज) सरकार और संवैधानिक प्राधिकरणों द्वारा दायर सभी महत्वपूर्ण मुकदमों और किसी चालू जांच और कार्यवाही के ब्यौरे;

(झ) मजदूरों और कर्मचारियों की संख्या और उनके प्रति कारपोरेट ऋणी की देयता;

(ञ) [10][***]

(ट) [11][***]

(ठ) अन्य सूचना जो समाधान व्यावसायिक समिति को बताना उचित समझे।

(3) समिति का कोई सदस्य व्यावसायिक से इस विनियमन में वर्णित अन्य सूचनाओं का अनुरोध कर सकता है और यदि समाधान योजना पर ऐसी सूचना का प्रभाव पड़ता है तो समाधान व्यावसायिक उचित समय के भीतर सभी सदस्यों के ऐसी सूचना प्रदान करेगा।

[12][(4) समाधान वृत्तिक, समिति के किसी सदस्य या किसी भावी समाधान आवेदक से इस आशय का वचनबंध प्राप्त करने के पश्चात् कि ऐसा सदस्य या समाधान आवेदक जानकारी की गोपनीयता बनाए रखेगा और ऐसी जानकारी का, स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित हानि कारित करने के लिए प्रयोग नहीं करेगा और धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा, सूचना ज्ञापन को साझा करेगा।]

[13][(**35.क**) **समाधान योजनाओं का आमंत्रण**

(1) समाधान वृत्तिक, भावी समाधान आवेदकों को धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अनुसार समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए एक आमंत्रण, जिसके अंतर्गत मूल्यांकन मेट्रिक्स भी है, जारी करेगा।

(2) जहां आमंत्रण में मूल्यांकन मेट्रिक्स नहीं है वहां समाधान वृत्तिक, समित के अनुमोदन से भावी समाधान आवेदकों को समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से कम से कम आठ दिन पूर्व मूल्यांकन मेट्रिक्स जारी करेगा।

(3) समाधान वृत्तिक, समिति के अनुमोदन से यथास्थिति, उप-विनियम (1) या उप-विनियम (2) के अधीन दी गई समय-सीमा के भीतर आमंत्रण, मूल्यांकन मेट्रिक्स या दोनों में उपरांतरण कर सकेगा।

---

[10] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.23, दिनांकित 31-12-2017 द्वारा लोपित।

[11] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.23, दिनांकित 31-12-2017 द्वारा लोपित।

[12] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.025, दिनांकित 07-02-2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

[13] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.025, दिनांकित 07-02-2018 द्वारा अंतःस्थापित।

(4) इस विनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमाएं चालू निगमित फ़ास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रियाओं को वहां लागूनहीं होंगी

(क) जहां उप-विनियम (1) के अधीन समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए बाईस दिन से कम की अवधि बची है; और

(ख) जहां उप-विनियम (2) के अधीन समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए ग्यारह दिन से कम की अवधि बची है।

(5) समाधान वृत्तिक आमंत्रण की संक्षिप्त विशिष्टियां अनुसूची के प्ररूप छ मेः

(क) निगमित ऋणी की वैबसाइट पर, यदि कोई है; और

(ख) बोर्ड द्वारा इस प्रयोजनार्थ अभिहित वैबसाइट पर, यदि कोई है

प्रकाशित करेगा।]

[14][36. समाधान योजना

(1) किसी समाधान योजना में ऐसे अध्युपाय होंगे, जो निगमत ऋणी की आस्तियों के मूल्य के अधिकतम मूल्यांकन के लिए आवश्यक हों, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं किन्तु यहां तक सीमित नहीं हैं

(क) निगमित ऋणी की समस्तया आंषिक आस्तियों का एकया अधिक व्यक्तियों को अंतरण करना;

(ख) समस्त या आंशिक आस्तियों का, चाहे वे किसी प्रतिभूति हित के अध्यधीन हैं अथवा नहीं, विक्रय करना;

(ग) निगमित ऋणी के सारवान् शेयरों का अर्जन करना या निगमित ऋणी का एक या अधिक व्यक्तियों में विलयन या समेकन करना;

(घ) किसी प्रतिभूति हित की तुष्टि या उपांतरण करना;

(ङ) निगमित ऋणी से देय किसी ऋण के निबंधनों में सुधार करना या किसी भंग का अधित्यजन करना;

(च) लेनदारों को संदेय रकम में कटौती करना;

(छ) निगमित ऋणी से देय किसी ऋण की परिपक्वता तारीख का विस्तार करना या ब्याज की दर या अन्य निबंधनों में परिवर्तन करना;

(ज) निगमित ऋणी के गठन संबंधी दसतावेज़ों में संशोधन करना;

झ) नकदी, संपत्ति, प्रतिभूतियों के लिए या दावों या हितों के विनिमय या अन्य समुचित प्रयोजन के लिए निगमित ऋणी की प्रतिभूतियों का जारी किया जाना;

---

[14] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.025, दिनांकित 07-02-2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ञ) निगमित ऋणी द्वारा उत्पादित या प्रदान किए गए माल या सेवाओं के पोर्टफोलियों में परिवर्तन करना;

(ट) निगमित ऋणी द्वारा प्रयुक्त प्रौद्योगिकी में परिवर्तन करना; और

(ठ) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन अभिप्राप्त करना।]

37. समाधान योजना के अनिवार्य विषय

(1) समाधान योजना के में निर्दिष्ट निधियों के स्रोत होंगे जिन्हे निम्नलिखित के भुगतान के लिए किया जाएगा।

(क) दिवालिया समाधान प्रक्रिया लागत और यह प्रावधान कि दिवालिया समाधान प्रक्रिया लागत का भुगतान किसी अन्य लेनदार को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

(ख) प्रचालन लेनदार को देय समापन मूल्य का भुगतान करना और किसी वित्तीय लेनदार को प्राथमिकता के आधार पर भुगतान करना और यह भुगतान न्यायनिर्णय प्राधिकारी द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन से 30 दिनों की समाप्ति के भीतर किया जाएगा।

(ग) असहमत वित्तीय लेनदारों को देय समापन मूल्य का भुगतान वित्तीय लेनदारों जिसमें समाधान योजना के पक्ष में मत दिया है द्वारा की गई वसूली से पूर्व किया जाएगा।

[15][(1क) समाधान योजना में इस बारे में एक कथन शामिल होगा कि उसमें कारपोरेट ऋणी के समस्त हितधारकों के, जिसके अंतर्गत वित्तीय लेनदार और प्रचालन लेनदार भी हैं, हितों का निपटारा किस प्रकार किया गया है।]

(2) किसी समाधान योजना में निम्नलिखित होंगे :

(क) योजना की अवधि और इसकी कार्यान्वयन अनुसूची;

(ख) कारपोरेट लेनदार के कार्यकाल की अवधि के दौरान प्रबंधन और व्यवसायिक नियंत्रण;

(ग) इसके कार्यान्वयन की पर्यवेक्षण के वित्त पर्याप्त उपाय

[16][(3) किसी समाधान योजना में, समाधान आवेदक और अन्य संबद्ध व्यक्ति की जानकारी का विवरण अंतर्विष्ट होगा, जिससे कि समिति समाधान योजना पर अपने अनुमोदन के लिए विचार करते समय विवेकपूर्ण विनिश्चय करने के लिए ऐसे आवेदक और अन्य संबद्ध व्यक्ति की विश्वसनीयता का निर्धारण करने में समर्थ हो सके।

स्पष्टीकरण: इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए-

---

[15] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.017, दिनांकित 05-10-2017 द्वारा अंतःस्थापित।

[16] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.020, दिनांकित 07-11-2017 द्वारा अंतःस्थापित।

(I) “विवरण” के अन्तर्गत समाधान आवेदक और अन्य संबद्ध व्यक्ति की बाबत निम्नलिखित शामिल होगा, अर्थात्

(क) पहचान;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि, यदि कोई है;

(ग) लंबित दांडिक कार्यवाहियां, यदि कोई हैं;

(घ) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निदेश क के रूप में कार्य करने संबंधी निरर्हता, यदि कोई है;

(ड.) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किसी बैंक या वित्तीय संस्था या उनके संघ द्वारा जानबूझकर व्यतिक्रमी के रूप में पहचान, यदि कोई है;

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के किसी आदेश या किन्हीं निदेशों के अधीन प्रतिभूति बाजारों में प्रवेश करने या व्यापार करने से विवर्जन, यदि कोई हो; और

(छ) पिछले दो वर्षों में कारपोरेट ऋणी के साथ संव्यवहार, यदि कोई हों।

(ii) ‘संबद्ध व्यक्ति’अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है

(क) ऐसे व्यक्ति, जो समाधान आवेदक के संप्रवर्तक हैं या उसके प्रबंधमंडल या नियंत्रण में हैं;

(ख) ऐसे व्यक्ति, जो समाधान योजना के क्रियान्वयन के दौरान कारपोरेट ऋणी के कारबार के संप्रवर्तक होंगे या उसके प्रबंधमंडल या नियंत्रण में होंगे;

(ग) मद (क) और (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की नियंत्री कंपनी, समनुषंगी कंपनी, सहयुक्त कंपनी और संबंधित पक्षकार।]

38. समाधान योजना का अनुमोदन

[17][(1) कोई समाधान आवेदक, संहिता और इन विनियमों के अनुसार तैयार समाधान योजना (योजनाओं) को धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन किए गए आमंत्रण में विनिर्दिष्ट समय के भीतर समाधान वृत्तिक को प्रस्तुत करेगा।]

[18][(2) समाधान वृत्तिक, समिति को ऐसी सभी समाधान योजनाएं, जो संहिता और उसके अधीन बनाए गए विनियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन करती हैं, अपने द्वारा संप्रेक्षित, पाए गए या निर्धारित निम्नलिखित संव्यवहारों के, यदि कोई हैं, विवरण

(क) धारा 43 के अधीन अधिमानी संव्यवहार;

(ख) धारा 45 के अधीन न्यून मूल्यांकित संव्यवहार;

(ग) धारा 50 के अधीन उद्दापक प्रत्यय संव्यवहार; और

(घ) धारा 66 के अधीन कपटपूर्ण संव्यवहार;

और ऐसे संव्यवहारो की बाबत न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेशों सहित यदि कोई हैं, प्रस्तुत करेगा।]

(3) समिति संशोधन सहित किसी प्रकार की योजना जैसा उचित समझे का अनुमोदन कर सकती है।

---

[17] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.23, दिनांकित 31-12-2017 द्वारा प्रतिस्थापित।

[18] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.020, दिनांकित 07-11-2017 द्वारा प्रतिस्थापित।

[19][(3क) समिति, धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन समाधान योजना का अनुमोदन करते समय विनिमय 37 के उप-विनियम (1) के प्रयोजनोंके लिए समाधान योजना के अधीन आने वाले संसधानों सेसंदेय रकमों को विनिर्दिष्ट करेगी।]

[20][(4) समाधान वृत्तिक समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को धारा 56 के अधीन अनुज्ञात अधिकतम अवधि के अवसान से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व निगमित फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए इस प्रमाणपत्र सहित अधिनिर्णयन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा किः

(क) समाधान योजना की अंतर्वस्तुएं संहिता और विनियमों की सभी अपेक्षाओं को पूरा करती हैं; और

(ख) समाधान योजना का समिति द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है।"

परन्तु इस उप-विनियम में विनिर्दिष्ट समय-सीमा ऐसी किसी चालू निगमित फास्ट ट्रैक दिवाला प्रक्रिया को लागू नहीं होगी जिसने अपने प्रारंभ से पचासवां दिन पूरा कर लिया है।]

(5) समाधान व्यावसायिक भागीदारों और समाधान आवेदक को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा किसी समाधान योजना के अनुमोदन या अस्वीकृति के आदेश की प्रति तत्काल भेजेगा।

(6) समाधान योजना के उपबंधों जिसमें वैसे तो कारपोरेट ऋणी, शेयरधारक समझौता, संयुक्त उद्यम समझौता या उसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों के शर्तों के तहत कारपोरेट ऋणी कम्पनी के सदस्यों या भागीदारों जैसा भी मामला हो कि सहमति अपेक्षित है, को सहमति प्राप्त न होने के बावजूद लागू किया जाएगा।

(7) दिवाला घोषित करने की तारीख से पूर्व कारपोरेट ऋणी के कार्यों के लिए अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यवसायिक जैसा भी मामला हो के विरूद्ध किसी प्रकार के कार्यवाही की पहल नहीं की जाएगी।

(8) न्याय निर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के पश्चात् कारपोरेट ऋणी के व्यवसाय के प्रबंधन या नियत्रंण और परिचालन का प्रभारी व्यक्ति न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष समाधान योजना के शर्तों के कार्यान्वयन के लिए स्थानीय जिला प्रशासन की सहायता की मांग के आदेश के लिए आवेदन कर सकता है।

39. कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि में विस्तार

(1) समिति की राय है कि फास्ट ट्रैक प्रक्रिया 90 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है, इसके लिए फास्ट ट्रैक प्रक्रिया अवधि को बढ़ाने हेतु धारा 56 के अधीन समाधान व्यावसायिक को अधिनिर्णयकर्ता अधिकारी को आवेदन करने के लिए अनुदेश दिया जा सकता है।

---

[19] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.025, दिनांकित 07-02-2018 द्वारा अंतःस्थापित।

[20] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.025, दिनांकित 07-02-2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) समाधान व्यावसायिक समिति से इस विनियमन के तहत निर्देश प्राप्त करने के पश्चात् न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष विस्तार के लिए आवेदन करेगा।

अनुसूची

प्ररूप क

सार्वजनिक घोषणा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2017 क विनियमन 6 के तहत)

[कारपोरेट ऋणी का नाम] के लेनदारों के ध्यानाकर्षण हेतु

_		
1.	कारपोरेट ऋणी का नाम	
2.	कारपोरेट ऋणी के निगमन की तारीख	
3.	वह प्राधिकरण जिसके तहत कारपोरेट ऋणी नियमित/पंजीकृत है	
4.	कारपोरेट ऋणी की कारपोरेट पहचान संख्या/ सीमित देयता पहचान संख्या	
5.	कारपोरेट ऋणी के पंजीकृत कार्यालय व मुख्य कार्यालय का पता	
6.	कारपोरेट ऋणी की फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रारम्भ होने की तारीख	
7.	दिवाला समाधान प्रक्रिया की समाप्ति की अनुमानित तारीख	
8.	अंतरिम समाधान व्यावसायिक का नाम, पता, ई-मेल पता और पंजीकरण संख्या	

9.	दावों के प्रस्तुतीकरण की अंतिम तारीख	

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने दिनांक (फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारम्भ करने की तारीख) को (कारपोरेट ऋणी का नाम) के विरूद्ध फास्ट ट्रैक कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है।

[कारपोरेट ऋणी का नाम लेनदारों को मद संख्या 8 में उल्लिखित पते पर दिनांक(अंतरिम समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति की तारीख से 14 दिनों के बाद की तारीख) या इससे पूर्व ही अंतरिम समाधान व्यावसायिक के समक्ष उसके दावों का प्रभाव प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाता है।

[21][वित्तीय लेनदार केवल इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा दावों के अपने सबूत प्रस्तुत करेंगे। अन्य सभी लेनदार, दोनों के सबूत व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा प्रस्तुत कर सकेंगे।]

दावों के झूठे या भ्रामक प्रमाणों के प्रस्तुतीकरण से जुर्माना देना पड़ सकता है।

अंतरिम समाधान व्यावसायिक का नाम व हस्ताक्षर :

तारीख एंव स्थान :

अनुसूची

प्ररूप ख

परिचालन लेनदार जिसमें श्रमिक और कर्मचारी शामिल नहीं है द्वारा दावों का प्रमाण

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2017 क विनियमन 7 के तहत)

सेवा में,

अंतरिम समाधान व्यावसायिक/ समाधान व्यावसायिक

[दिवाला समाधान यावसायिक/ समाधान व्यावसायिक का नाम]

[सार्वजनिक घोषणा में दिया गया पता]

द्वारा

[परिचालन लेनदार का नाम और पता]

विषय : दावों के प्रमाण का प्रस्तुतीकरण

---

[21] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.014, दिनांकित 16-08-2017 द्वारा प्रतिस्थापित ।

महोदया/महोदय,

[परिचालन लेनदार का नाम] एतद्द्वारा [कारपोरेट ऋणी नाम] के मामले में कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया संबधी दावों का प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

विवरण		
1.	परिचालन लेनदार का नाम	
2.	परिचालन लेनदार की पहचान संख्या (यदि निगमित निकाय निगमन की पहचान संख्या या प्रमाण देता है। यदि एक भागीदारी फर्म या व्यक्ति अपने सभी भागीदारों पहचान से संबधित रिकार्ड* उपलब्ध करवाती है)	
3.	परिचालन लेनदार का पत्राचार के लिए पता और ई-मेल पता (यदि कोई हो)	
4.	दावे की कुल राशि (जिसमें फास्ट ट्रैक दिवाला शुरूआत तारीख से ब्याज भी शामिल है)	
5.	दस्तावेजों का विवरण जिसके संदर्भ से ऋण की पुष्टि की जा सके।	
6.	किसी विवाद और साथ-साथ लंबित रिकार्ड या दावे का आदेश या मध्यस्थता प्रक्रियाओं का विवरण	
7.	लंबित मामलों या मुकदमें का आदेश या मध्यस्थता कार्यवाही के रिकार्ड के साथ-साथ किसी विवाद का ब्यौरा	
8.	कैसे और कब ऋण दिया का विवरण	
9.	कारपोरेट ऋणी और लेनदार के मध्य पारस्परिक जमा, पारस्परिक ऋण या अन्य पारस्परिक लेनदेन के ब्यौरे जिन्हे दावों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है।	

10.	दावों में संदर्भित वस्तुओं और सम्पत्तियों से संबधित मुख्य प्रबंधो के प्रतिधारण के ब्यौरे	
11.	बैंक खाते का विवरण जिसमें दावे की राशि या उसका कोई भाग जिसका समाधान योजना के अनुसरण में हस्तांतरित किया जा सके।	
12.	दस्तावेजों की सूची इस दावे के प्रमाण की पुष्टि के लिए जिसमें परिचालन लेनदार के दावे के अस्तित्व और गैर-अदायगी की पुष्टि की जा सके।	

परिचालन लेनदार या उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर [प्राधिकार संलग्न करें यदि वह परिचालन लेनदार की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है]
नाम बड़े अक्षरों में
लेनदार के साथ संबध या स्थिति
हस्ताक्षर करने वाले का पता

*पैन संख्या, पासपोर्ट संख्या, आधार कार्ड या भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र।

शपथ-पत्र

मैं [साक्षी का नाम] वर्तमान निवासी [पता अंतः स्थापित करें] सत्यनिष्ठा से पुष्टि और निम्नलिखित कथन करता हूं।

1. (कारपोरेट ऋणी का नाम) कारपोरेट ऋणी, फास्ट ट्रैक दिवाला प्रक्रिया शुरूआत की तारीख यथा .... दिवस 20 .... औचित्य और सत्य रूप रूपये से (दावे की राशि अंत स्थापित करें) मेरा ऋणी है।

2. मेरे द्वारा उल्लिखित राशि और उसके किसी भाग के दावे के सम्बंध में मैं निम्नलिखित दस्तावेज विश्वासपूर्वक प्रस्तुत करता हूं। [दावे के प्रमाण के रूप में विश्वास हेतु दस्तावेजों की सूची दें]

3. उल्लिखित दस्तावेज मेरी जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सत्य, वैध और वास्तविक हैं।

4. उल्लिखित राशि या उसके किसी भाग के सम्बंध में न तो मैने न ही मेरे आदेश के द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति ने मेरी जानकारी या विश्वास में मेरे प्रयोग के लिए, किसी तरीके से संतुष्टि या सुरक्षा जो भी हो ने ही सिवाय का छोड़कर प्राप्त किया है;

[किसी पारम्परिक जमा, पारम्परिक ऋण या अन्य पारम्परिक संव्यवहार जो कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच हुआ हो, जिसे दावे में समायोजन किया जा सके का विवरण दें]

सत्यनिष्ठा से पुष्टि [स्थान भरें] .... दिवस .... वर्ष 20 .... को मेरे सम्मुख की गई।

नोटरी/शपथ आयुक्त .... साक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, साक्षी जैसा कि ऊपर दिया गया है एतद्वारा सत्यापित एंव पुष्टि करता हूं कि इस शपथपत्र के पैरा संख्या ... से ...... तक मेरी जानकारी और विश्वास में सत्य है और कोई तात्विक तथ्य इसमें छुपाया नहीं गया है।

सत्यापित .... तारीख .... दिवस .... 20.......

साक्षी के हस्ताक्षर

अनुसूची

प्ररूप ग

वित्तीय लेनदार के दावे का प्रमाण

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2017 क विनियमन 8 के अंतर्गत)

(तारीख)

सेवा में,

अंतरिम समाधान व्यावसायिक/ समाधान व्यावसायिक

[दिवाला समाधान यावसायिक/ समाधान व्यावसायिक का नाम]

[सार्वजनिक घोषणा में दिया गया पता]

द्वारा

पंजीकृत कार्यालय व मुख्य कार्यालय का नाम और पता

विषय : दावे का प्रमाण प्रस्तुत करना

महोदया/महोदय,

[वित्तीय लेनदार का नाम एतदद्वारा कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के मामले [कारपोरेट देनदार का नाम] के संबंध में दावे का प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसके विवरण नीचे दिए गए हैं :

विवरण		
1.	वित्तीय लेनदार का नाम	
2.	वित्तीय लेनदार की पहचान संख्या (यदि निगमित निकाय निगमन की पहचान संख्या या प्रमाण देता है। यदि एक भागीदारी फर्म या व्यक्ति अपने सभी भागीदारों पहचान से संबधित रिकार्ड* उपलब्ध करवाती है)	
3.	वित्तीय लेनदार का पत्राचार के लिए पता और ई-मेल पता (यदि कोई हो)	
4.	दावे की कुल राशि (जिसमें फास्ट ट्रैक दिवाला शुरूआत तारीख से ब्याज भी शामिल है)	
5.	दस्तावेजों का विवरण जिसके संदर्भ से ऋण की पुष्टि की जा सके।	
6.	किसी विवाद और साथ-साथ लंबित रिकार्ड या दावे का आदेश या मध्यस्थता प्रक्रियाओं का विवरण	
7.	कैसे और कब ऋण दिया का विवरण	
8.	किसी पारस्परिक जमा, पारस्परिक नामे या अन्य पारस्परिक संव्यवहार जो भी कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच हुआ जिसे दावे के एवज में समायोजित किया जा सके का विवरण।	
9.	धारित प्रतिभूति, उसका मूल्य जिस तारीख को दी गई का विवरण	
10.	बैंक खाते का विवरण जिसमें दावे की राशि या उसका कोई भाग जिसका समाधान योजना के अनुसरण में हस्तांतरित किया जा सके।	
11.	दस्तावेजों की सूची इस दावे के प्रमाण की पुष्टि के लिए जिसमें परिचालन लेनदार के दावे के	

	अस्तित्व और गैर-अदायगी की पुष्टि की जा सके।	

वित्तीय लेनदार या उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर [प्राधिकार संलग्न करें यदि वह परिचालन लेनदार की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है।]
नाम बड़े अक्षरों में
लेनदार के साथ संबध या स्थिति
हस्ताक्षर करने वाले का पता

*पैन संख्या, पासर्पोट संख्या, आधार कार्ड या भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र ।

शपथ-पत्र

मैं [साक्षी का नाम] वर्तमान निवासी [पता अंतः स्थापित करें] सत्यनिष्ठा से पुष्टि और निम्नलिखित कथन करता हूं|

1. (कारपोरेट ऋणी का नाम) कारपोरेट ऋणी, फास्ट ट्रैक दिवाला प्रक्रिया शुरूआत की तारीख यथा .... दिवस 20 .... औचित्य और सत्य रूप रुपये से (दावे की राशि अंत स्थापित करें) मेरा ऋणी है।

2. मेरे द्वारा उल्लिखित राशि और उसके किसी भाग के दावे के सम्बंध में मैं निम्नलिखित दस्तावेज विश्वासपूर्वक प्रस्तुत करता हूँ |

   [दावे के प्रमाण के रूप में विश्वास हेतु दस्तावेजों की सूची दें]

3. उल्लिखित दस्तावेज मेरी जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सत्य, वैध और वास्तविक हैं।

4. उल्लिखित राशि या उसके किसी भाग के सम्बंध में न तो मैने न ही मेरे आदेश के द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति ने मेरी जानकारी या विश्वास में मेरे प्रयोग के लिए, किसी तरीके से संतुष्टि या सुरक्षा जो भी हो ने ही सिवाय का छोड़कर प्राप्त किया है;

   [किसी पारम्परिक जमा, पारम्परिक ऋण या अन्य पारम्परिक संव्यवहार जो कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच हुआ हो, जिसे दावे में समायोजन किया जा सके का विवरण दें]

सत्यनिष्ठा से पुष्टि [स्थान भरें] .... दिवस .... वर्ष 20 .... को मेरे सम्मुख की गई।

नोटरी/शपथ आयुक्त .... साक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, साक्षी जैसा कि ऊपर दिया गया है एतदद्वारा सत्यापित एवं पुष्टि करता हूं कि इस शपथपत्र के पैरा संख्या .... से .... तक मेरी जानकारी और विश्वास में सत्य हैं और कोई तात्विक तथ्य इसमें छुपाया नहीं गया है।

सत्यापित .... तारीख .... दिवस .... 20.......

साक्षी के हस्ताक्षर

अनुसूची

प्ररूप घ

कर्मकार/कर्मचारी के दावे का प्रमाण

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2017 क विनियमन 9 के अंतर्गत)

(तारीख)

सेवा में,

अंतरिम समाधान व्यावसायिक/ समाधान व्यावसायिक

[दिवाला समाधान व्यावसायिक/ समाधान व्यावसायिक का नाम]

[सार्वजनिक घोषणा में दिया गया पता]

द्वारा

कर्मकार/कर्मचारी का नाम और पता

विषय : दावे का प्रमाण प्रस्तुत करना

महोदया /महोदय,

[कर्मकार/कर्मचारी का नाम] एतद्वारा कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के मामले [कारपोरेट लेनदार का नाम] के संबंध में दावे का प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसके विवरण नीचे दिए गए हैं :

विवरण

विवरण		
1.	कर्मकार/कर्मचारी का नाम	

2.	पैन संख्या, पासपोर्ट संख्या, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र या वित्तीय लेनदार का आधार कार्ड।	
3.	कर्मकार/कर्मचारी का पत्राचार के लिए पता और ई-मेल पता (यदि कोई हो)	
4.	दावे की कुल राशि (जिसमें फास्ट ट्रैक दिवाला शुरूआत तारीख से ब्याज भी शामिल है)	
5.	दस्तावेजों का विवरण जिसके संदर्भ से ऋण की पुष्टि की जा सके।	
6.	किसी विवाद और साथ-साथ लंबित रिकार्ड या दावे का आदेश या मध्यस्थता प्रक्रियाओं का विवरण	
7.	कैसे और कब ऋण दिया का विवरण	
8.	किसी पारस्परिक जमा, पारस्परिक नामे या अन्य पारस्परिक संव्यवहार जो भी कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच हुआ जिसे दावे के एवज में समायोजित किया जा सके का विवरण ।	
9.	बैंक खाते का विवरण जिसमें दावे की राशि या उसका कोई भाग समाधान योजना के अनुसरण में हस्तांतरित किया जा सके।	
10.	दस्तावेजों की सूची इस दावे के प्रमाण की पुष्टि के लिए जिसमें परिचालन दावेदार के दावे के अस्तित्व और दावे की गैर-अदायगी की सिद्ध किया जा सके।	

कर्मकार/ कर्मचारी या उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर [प्राधिकार संलग्न करें यदि वह परिचालन लेनदार की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है]
नाम बड़े अक्षरों में

लेनदार/ दावेदार के साथ संबध या स्थिति
हस्ताक्षर करने वाले का पता

*पैन संख्या, पासपोर्ट संख्या, आधार कार्ड या भारतीय निर्वाचन आयोग द्‍वारा जारी पहचान पत्र ।

शपथ-पत्र

मैं [साक्षी का नाम] वर्तमान निवासी [पता अंतः स्थापित करें] सत्यनिष्ठा से पुष्टि और निम्नलिखित कथन करता हूं।

1. (कारपोरेट ऋणी का नाम) कारपोरेट ऋणी, फास्ट ट्रैक दिवाला प्रक्रिया शुरूआत की तारीख यथा .... दिवस 20 ...... औचित्य और सत्य रूप रुपये से (दावे की राशि अंत स्थापित करें) मेरा ऋणी है।

2. मेरे द्‍वारा उल्लिखित राशि और उसके किसी भाग के दावे के सम्बंध में मैं निम्नलिखित दस्तावेज विश्वासपूर्वक प्रस्तुत करता हूँ|

   [दावे के प्रमाण के रूप में विश्वास हेतु दस्तावेजों की सूची दें]

3. उल्लिखित दस्तावेज मेरी जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सत्य, वैध और वास्तविक हैं।

4. उल्लिखित राशि या उसके किसी भाग के सम्बंध में न तो मैने न ही मेरे आदेश के द्‍वारा, किसी अन्य व्यक्ति ने मेरी जानकारी या विश्वास में मेरे प्रयोग के लिए, किसी तरीके से संतुष्टि या सुरक्षा जो भी हो ने ही सिवाय का छोड़कर प्राप्त किया है;

   [किसी पारम्परिक जमा, पारम्परिक ऋण या अन्य पारम्परिक संव्यवहार जो कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच हुआ हो, जिसे दावे में समायोजन किया जा सके का विवरण दें]

सत्यनिष्ठा से पुष्टि [स्थान भरें] .... दिवस .... वर्ष 20 .... को मेरे सम्मुख की गई।

नोटरी/शपथ आयुक्त

साक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, साक्षी जैसा कि ऊपर दिया गया है एतद्‍द्‍वारा सत्यापित एवं पुष्टि करता हूं कि इस शपथपत्र के पैरा संख्या .... से ...... तक मेरी जानकारी और विश्वास में सत्य हैं और कोई तात्विक तथ्य इसमें छुपाया नहीं गया है।

सत्यापित .... तारीख .... दिवस .... 20.......

साक्षी के हस्ताक्षर

अनुसूची

प्ररूप ङ

कर्मकार/कर्मचारी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत दावे का प्रमाण

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2017 क विनियमन 10 के अंतर्गत)

(तारीख)

सेवा में,

अंतरिम समाधान व्यावसायिक/ समाधान व्यावसायिक

[दिवाला समाधान व्यावसायिक/समाधान व्यावसायिक का नाम]

[सार्वजनिक घोषणा में दिया गया पता]

द्वारा

कर्मकार/कर्मचारी के प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम और पता

विषय : दावे का प्रमाण प्रस्तुत करना

महोदया/महोदय,

[कर्मकार/कर्मचारी के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम और पता, वर्तमान में निवासी (कर्मकार/कर्मचारी के प्राधिकृत प्रतिनिधि का पता) कर्मकार और कर्मचारी जो उपरोक्त वर्णित कारपोरेट ऋणी के द्वारा नियोजित और अनुलग्नक क में सूचीबद्ध है] सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और कथन करता हूं:

1. यह कि उपरोक्त वर्णित कारपोरेट ऋणी दिवाला प्रक्रिया की शुरूआत की तारीख जो .... दिवस 20 ...... औचित्यपूर्ण और सत्य रूप रुपये से कई व्यक्तियों का ऋणी है जिनके नाम, पते और विवरण अनुलग्नक क में नीचे राशि जो अलग-अलग दर्शायी गई है, में उनके नाम के सामने अनुलग्नक क में मजदूरी, पारिश्रमिक और उनको देय अन्य राशि के रूप में क्रमशः कर्मकार/कर्मचारी के रूप में कारपोरेट ऋणी को उनके द्वारा कमश: कारपोरेट ऋणी को ऐसी अवधि के दौरान दी गई जो उनके संबधित नामों के सामने अनुलग्नक क में दी गई है।

2. यह कि उल्लिखित राशि या उसके किसी भाग के सम्बंध में उन्होने न ही उनमें से किसी से भी संतुष्टि या सुरक्षा, जो भी लागू हो, का निम्नलिखित के अलावा प्राप्त किया है।

   [किसी पारम्परिक जमा, पारम्परिक ऋण या अन्य पारम्परिक संव्यवहार जो कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच, जिसे दावे में समायोजन किया जा सके का विवरण दें]

साक्षी

अनुसूची

1. कर्मचारी/ कर्मकार का विवरण

क्र.स.	कर्मचारी/ कर्मकार का नाम	पहचान संख्या (पैन नाम संख्या, पासर्पोट संख्या, आधार कार्ड)	कुल देय राशि (रु.)	अवधि जिसके लिए राशि देय है
1.				
2.				
3.				
4.				

2. कारपोरेट ऋणी को किस प्रकार का ऋण दिया गया जिसमें किसी विवाद और साथ-साथ लंबित रिकार्ड या दावे का आदेश या मध्यस्थता प्रक्रियाओं का विवरण भी हो।

3. किसी पारस्परिक जमा, पारस्परिक ऋण या अन्य पारस्परिक संव्यवहार जो भी कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच हुआ जिसे दावे को समायोजित किया जा सके का विवरण दें।

संलग्नक

(क) दस्तावेज जिन ऋण के प्रमाण और ऋण की गैर अदायगी का प्रमाण सिद्ध होता हो। (ख) इस प्ररूप ङ में दिए गया शपथपत्र ।

शपथ-पत्र

[यदि आवेदन वित्तीय लेनदार की ओर से प्रधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो यह शपथपत्र प्रस्तुत करें]

मैं [साक्षी का नाम] वर्तमान निवासी [पता अंतः स्थापित करें] सत्यनिष्ठा से पुष्टि और निम्नलिखित कथन करता हूं।

1. (कारपोरेट ऋणी का नाम) कारपोरेट ऋणी, फास्ट ट्रैक दिवाला प्रक्रिया शुरूआत की तारीख यथा .... दिवस 20.... औचित्य और सत्य रूप रुपये से (दावे की राशि अंत स्थापित करें) मेरा ऋणी है।

2. मेरे द्वारा उल्लिखित राशि और उसके किसी भाग के दावे के सम्बंध में मैं निम्नलिखित दस्तावेज विश्वासपूर्वक प्रस्तुत करता हूँ|

   [दावे के प्रमाण के रूप में विश्वास हेतु दस्तावेजों की सूची दें]

3. उल्लिखित दस्तावेज मेरी जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सत्य, वैध और वास्तविक हैं।

4. उल्लिखित राशि या उसके किसी भाग के सम्बंध में न तो मैने न ही मेरे आदेश के द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति ने मेरी जानकारी या विश्वास में मेरे प्रयोग के लिए, किसी तरीके से संतुष्टि या सुरक्षा जो भी हो ने ही सिवाय का छोड़कर प्राप्त किया है;

[किसी पारम्परिक जमा, पारम्परिक ऋण या अन्य पारम्परिक संव्यवहार जो कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच हुआ हो, जिसे दावे में समायोजन किया जा सके का विवरण दें]

सत्यनिष्ठा से पुष्टि [स्थान भरें] .... दिवस .... वर्ष 20 .... को मेरे सम्मुख की गई।

नोटरी/शपथ आयुक्त .... साक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, साक्षी जैसा कि ऊपर दिया गया है एतद्द्वारा सत्यापित एवं पुष्टि करता हूं कि इस शपथपत्र के पैरा संख्या .... से ...... तक मेरी जानकारी और विश्वास में सत्य हैं और कोई तात्विक तथ्य इसमें छुपाया नहीं गया है।

सत्यापित .... तारीख .... दिवस .... 20.......

साक्षी के हस्ताक्षर

[22][प्ररूप च

लेनदारों द्वारा (वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों से भिन्न) दावे का सबूत

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2017 के विनियम 9क के अधीन]

तारीख

सेवा में,
अंतरिम समाधान व्यावसायिक/समाधान व्यावसायिक
[दिवाला समाधान व्यावसायिक/समाधान व्यावसायिक का नाम]
[सार्वजनिक घोषणा में दिया गया पता]
प्रेषक
लेनदार का नाम और पता]
विषय: दावे का सबूत प्रस्तुत करना।
महोदया/महोदय

मैं............लेनदार का नाम], ... (कारपोरेट ऋणी का नाम) के मामले में कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की बाबत दावे का निम्नलिखित सबूत प्रस्तुत करता हूं। इसके ब्यौरे नीचे उपवर्णित किए गए हैं:

विशिष्टियां

---

[22] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.014, दिनांकित 16-08-2017 द्वारा अंतःस्थापित ।

1.	लेनदार का नाम	
2.	लेनदार का पहचान संख्यांक (यदि कोई निगमित निकाय निगमन का पहचान संख्यांक और सबूत देता है। यदि कोई भागीदारी फर्म या व्यष्टिक सभी भागीदारों या व्यष्टियों के पहचान अभिलेख देता है)	
3.	लेनदार का पत्र-व्यवहार के लिए पता और ईमेल पता	
4.	दावे का विवरण (जिसमें दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख को दावे की राशी शामिल है)	
5.	उन दस्तावेज़ों के ब्यौरे, जिनके प्रति निर्देश से दावा सिद्ध किया जा सकता है	
6.	इस संबंध में ब्यौरे कि दावा कैसे और कब उद्भूत हुआ	
7.	कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच ऐसे किसी पारस्परिक जमा, पारस्परिक ऋण या अन्य पारस्परिक व्यवहार(लेनदेन) के ब्यौरे, जिन्हें दावे के प्रति समायोजित किया जा सकता है	
8.	क. धारित किसी प्रतिभूति, प्रतिभूति के मूल्य और उसकी तारीख, या ख. उस माल या संपत्ति की बाबत, जिसका दावे में निर्देश किया गया है, प्रतिधारण हक व्यवस्था के ब्यौरे	
9.	उस बैंक खाते के ब्यौरे, जिसमें किसी समाधान योजना के अनुसरण में दावे की रकम या उसका कोई भाग अंतरित किया जा सकता है	
10.	दावे के साथ संलग्न उन दस्तावेज़ों की सूची, जिनसे लेनदार को देय दावे का अस्तित्व और उसकी तुष्टि न होना साबित हो सके	
लेनदार या उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर (यदि यह लेनदार की ओर से प्रस्तुत/हस्ताक्षरित किया जा रहा है तो कृपया प्राधिकार-पत्र संलग्न करें)		
नाम स्पष्ट अक्षरों में		
लेनदार के साथ स्थिति या संबंध		
हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पता		

* पैन, पासपोर्ट, आधार या भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान कार्ड

शपथपत्र

मैं, ... (अभिसाक्षी का नाम), वर्तमान निवासी............... (पता अंतःस्थापित करें), सत्यनिष्ठा से यह प्रतिज्ञान और कथन करता हूं कि:

1. ....(कारपोरेट ऋणी का नाम) कारपोरेट ऋणी, दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख को, जो कि.................20....है, ... रुपए (दावे की रकम अंतःस्थापित करें) के लिए न्यायोचित और सही रूप में मेरा ऋणी था।
2. मैने अपने दावे की बाबत नीचे विनिर्दिष्ट दस्तावेज़ों का अवलंब लिया है :
   [कृपया दावे के साक्ष्य के रूप में अवलंब लिए गए दस्तावेज़ों की सूची दे]
3. उक्त दस्तावेज़ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही, विधिमान्य और असली हैं।
4. उक्त दावे बाबत न तो मैने और न ही मेरे आदेश द्वारा किसी व्यक्ति ने मेरी जानकारी या विश्वास के अनुसार मेरे प्रयोग के लिए, निम्नलिखित के सिवाय (यदि कोई है) किसी रीति में तुष्टि या प्रतिभूति प्राप्त की थी:
   [कृपया ऐसे किसी पारस्परिक जमा, पारस्परिक ऋण या अन्य पारस्परिक व्यवहार(लेनदेन) के ब्यौरे दें, जिन्हें दावे के प्रति समायोजित किया जा सकता है]

.......................20...... को........................पर (स्थान अंतःस्थापित करें) मेरे समक्ष सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया गया।

नोटरी/शपथ आयुक्त

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, उपरोक्त अभिसाक्षी, एतद्वारा सत्यापित और प्रतिज्ञान करता हूं कि इस शपथपत्र के पैरा.... से पैरा.... की अंतर्वस्तुएं मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और इसमें किसी तात्विक तथ्य को छिपाया नहीं गया है।

.... पर ....20........ को सत्यापित

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर]

[23][प्ररूप छ

समाधान योजनाओं के लिए आमंत्रण

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 35क के उप-विनियम(5) के अधीन)

.... (निगमित ऋणी का नाम) के भावी आवेदकों के ध्यानाकर्षण के लिए

क्रम सं.	विशिष्टियां	
1	निगमित ऋणी का नाम	

[23] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.025, दिनांकित 07-02-2018 द्वारा अंतःस्थापित।

2	निगमित ऋणी के निगमन की तारीख	
3	वह प्राधिकारी, जिसके अधीन निगमित ऋणी निगमित/रजिस्ट्रीकृत है	
4	निगमित ऋणी का निगमन पहचान संख्यांक/सीमित दायित्व पहचान संख्यांक	
5	निगमित ऋणी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हैं) का पता	
6	निगमित ऋणी की बाबत फास्ट ट्रैक दिवाला प्रारंभ होने की तारीख	
7	निगमित ऋणी के बाबत ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया बन्द करने की अनुमानित तारीख	
8	सूचना ज्ञापन जारी करने की तारीख	
9	भावी समाधान आवेदकों द्वारा सूचना ज्ञापन प्राप्त करने की रीति	
10	समाधान योजनाओं के लिए आमंत्रण जारी करने की तारीख	
11	भावी समाधान आवेदकों द्वारा आमंत्रण प्राप्त करने की रीति	
12	मूल्यांकन मेट्रिक्स जारी करने की तारीख	
13	भावी समाधान आवेदकों द्वारा मूल्यांकन मेट्रिक्स प्राप्त करने की रीति	
14	समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	
15	किसी भावी समाधान आवेदक द्वारा समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने की रीति	
16	बोर्ड के पास यथा-रजिस्ट्रीकृत समाधान वृत्तिक का नाम, पता और ईमेल	
17	क्रम सं. 16 पर दिए गए पते और इमेल से भिन्न पता और ईमेल, यदि कोई हैं, जिनका प्रयोग समाधान वृत्तिक के साथ पत्र-व्यवहार करने के लिए किया जाना है	

18	समाधान वृत्तिक का, बोर्ड द्वारा अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	

समाधान वृत्तिक के हस्ताक्षर

.... (निगमित ऋणी का नाम) की ओर से

तारीख और स्थान.........................]

डॉ. एस. साहू

अध्यक्ष

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड